

इस्लाम का तीसरा मूल रूकन

जकात

(महत्व एवं निर्देश)

कुरआन व सुन्नत के प्रकाश में

लेखक

अब्दुल्लाह सऊद अब्दुल वहीद

अनुवादक

अहमद हुसैन

Hindi

المركز التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمسقط
مكتب: 09-09-15000 (تلفون) 09-09-15000 (بريد إلكتروني) 09-09-15000 (بريد إلكتروني) 09-09-15000 (بريد إلكتروني)

THE COOPERATIVE OFFICE FOR CALL & FOREIGNERS GUIDANCE AT SULTANAH
Tel: 4249077 Fax: 4251009 P.O.Box: 93075 Riyadh-11663 S.A. E-mail: sultanah22@hotmail.com



इस्लाम का तीसरा मूल रूकन

ज़कात

(महत्व एवं निर्देश)

कुरआन व सुन्नत के प्रकाश में

लेखक

अब्दुल्लाह सऊद अब्दुल वहीद

अनुवादक

अहमद हुसैन

प्रकाशक एवं वितरक

आमन्त्रण व प्रदर्शक कार्यालय सुल्ताना

फोन 4240077 -पो. बा. 92675 - रियाद 11663

सऊदी अरबिया

حقوق الطبع محفوظة

الطبعة الأولى

١٤٢٤هـ - ٢٠٠٣م

٣) المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بسلطنة ، ١٤٢٤هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

عبدالوحيد ، عبدالله بن سعود

الزكاة - الهندية / عبدالله بن سعود عبدالوحيد .-

الرياض ، ١٤٢٤هـ

٧٨ ص ؛ ١٢ × ١٧ سم

ردمك : ٣-١٩-٨٧١-٩٩٦٠

أ-العنوان

١-الزكاة

١٤٢٤/٣٨٩٣

ديوي ٤ ، ٢٥٢

رقم الايداع ١٤٢٤/٣٨٩٣

ردمك : ٣-١٩-٨٧١-٩٩٦٠

विषय सूची

क्र० संख्या	विषय	पृ० संख्या
१.	दो शब्द	५
२.	प्राक्कथन	९
३.	जकात, इस्लाम का तीसरा मूल रूकन	११
४.	जकात का महत्व	१२
५.	जकात की श्रेष्ठता एवं लाभ	१४
६.	जकात न देने पर चेतावनी	१५
७.	जकात के प्रबन्ध का यथार्थ	१८
८.	भीख माँगने पर निषेध	२२
९.	जकात का उपयोग	२७
१०.	क्या जकात अन्य क्षेत्रों में स्थानान्तरित की जा सकती है?	३०
११.	निकट सम्बन्धियों को जकात	३१
१२.	जकात की सीमा	३५

१३. इस्लाम सरल एवं प्रकृति अनुकूल धर्म है ३६
१४. व्यापारिक माल पर जकात ३७
१५. जकात के सीमा निर्धारण की विस्तृत विवेचना . ४१
१६. आभूषण पर जकात ४३
१७. जकात का भुगतान वस्तु के रूप में करना ४६
१८. व्यापारिक वस्तुओं में जकात ४७
१९. संयुक्त व्यवसाय में जकात ५९
२०. कृषि उपज पर जकात सीमा ६०
२१. कृषि उपज में किन वस्तुओं पर जकात वाजिब है . ६१
२२. चरने वाले पालतू पशुओं पर जकात सीमा ६२
२३. सदकये फित्र (एक विशेष दान) ६८
२४. सदकये फित्र के लिए धन की सीमा नहीं ६८
२५. सदकये फित्र मुद्रा रूप में ७१
२६. सदकये फित्र देने का समय ७२
२७. सदकये फित्र की मात्रा एक साअ खाद्यान्न है ७३

दो शब्द

इस्लाम के पाँच मूल भूत स्तम्भों (अरकान) में, 'जकात' एक महत्वपूर्ण स्तम्भ (रुकन) है। इसका निर्देश कुरआन एवं हदीस में अनेक स्थानों पर है। इस्लाम धर्म के इन दोनों मूल श्रोतों में अन्य चार स्तम्भों की भाँति, इस स्तम्भ के निरूपण का महत्व और उसे उपेक्षित (नज़र अन्दाज़) कर देने पर जो चेतावनी है उस पर विचार करने से स्पष्ट होता है कि इस्लाम धर्म की पूर्णता के लिए इन पाँचों स्तम्भों का निरूपण (रसूल ﷺ के आदर्श के अनुरूप) अनिवार्य है वरन् इस्लाम की जबानी (मौखिक) घोषणा मनुष्य के लिए निरर्थक (बेकार) होगी।

जकात से सम्बन्धित, कुरआन और हदीस के निर्देशों की व्याख्या में, इस्लामी विद्वानों ने जो पुस्तकें लिखी हैं उस के अध्ययन से इस्लाम का धन सम्बन्धी दृष्टि कोण और उसकी अर्थ व्यवस्था स्पष्ट हो जाती है। यदि जीवन में मुख्य भूमिका निभाने वाले इस 'कारक' (हिस्सा) का उचित प्रबन्ध न किया जायेगा तो समाज कभी सीधे मार्ग पर उन्नति न कर सकेगा। इस्लाम ने धन के विभाजन का उचित एवं प्रभावी व्यवस्था स्थापित करके धनवान

और निर्धन, सम्पन्न (खुशहाल) एवं असहाय के मध्य विद्यमान (मौजूद) गहरी खाई को समाप्त करने का प्रयत्न किया है तथा धनवानों को इस बात की प्रेरणा दी है कि वह महानता एवं इस्लाम धर्म के अनुपालन के आधार पर, निर्बलों की सहायता करें और ऐसे समाज की रचना करें जिस में स्वार्थपरता (खुदग़रजी) एवं लालच, के स्थान पर परोपकार (इहसान) एवं संतोष (कनाअत) का प्रचलन हो।

मुस्लिम समाज में यह आवश्यकता सदैव अनुभव की गयी है कि इस्लाम के निर्देशों से अवगत हुआ जाये और अल्लाह की प्रसन्नता प्राप्त के लिए तदनुसार कार्य किया जाये। वर्तमान युग में इस आवश्यकता की अनुभूति और तीव्र हो गई है क्योंकि इस्लामी निर्देशानुसार कार्य करने की भावना अब पहले से कहीं अधिक प्रबल (जोरदार) है। इस समय लोग यह भी इच्छा करते हैं कि दिनचर्या से सम्बन्धित और विशेष कर धर्म के मूल भूत स्तम्भों से सम्बन्धित निर्देशों को कुरआन एवं हदीस के प्रकाश में स्पष्ट रूप से वर्णन किया जाये और उन पर आधारित संक्षिप्त पत्रिकायें, जन साधारण तक पहुँचाई जायें।

जकात के निर्देशों का महत्व एवं इस्लामी समाज की वर्तमान आवश्यकता का अनुभव करते हुए जामिआ

सलफिया के महाप्रबन्धक माननीय अब्दुल्लाह सऊद साहब ने प्रस्तुत पुस्तिका उर्दू भाषा में लिखी थी। इस पुस्तिका में जकात के महत्व पर कुरआन एवं हदीस के स्पष्ट निर्देश, सम्बन्धित नियमों की व्याख्या, जकात का उपयोग, अनाज या अन्य माल तथा नकदी माल में जकात की सीमा, तथा साअ (एक विशेष पैमाना) आदि की व्याख्या है। लेखक ने बहुत से ऐसे तथ्य स्पष्ट किये हैं जिन पर साधारणतया लोग उलझ जाते हैं। इस प्रकार पुस्तिका की उपयोगिता में बढ़ोत्तरी हो गयी है।

चूँकि लेखक ने अर्थशास्त्र का गहन अध्ययन किया है तथा वर्तमान अर्थव्यवस्था पर उनकी अच्छी दृष्टि है, इसलिए अपने अनुभव के प्रकाश में उन्होंने जकात की उत्तम व्याख्या की है तथा उसे व्यवहार में सरल बना कर प्रस्तुत किया है।

धार्मिक निर्देशानुसार व्यवहार की चेष्टा, देश-सम्प्रदाय के प्रति सहानुभूति एवं कल्याण की भावना, मुसलमानों को कुरआन एवं हदीस से भली-भाँति अवगत कराने की उनकी लगन पुस्तिका में स्थान-स्थान पर प्रदर्शित होती है। हिन्दी भाषियों के लिए भी यह पुस्तिका, अत्यन्त महत्वपूर्ण है, इसलिए आवश्यक था कि पुस्तक का हिन्दी रूपान्तर किया जाये। इस कार्य को जामिया के एक

अध्यापक श्री अहमद हुसैन साहब ने सम्पन्न किया है। उनकी अनुवाद शैली में सरलता एवं प्रवाह की अनुभूति होती है।

अल्लाह से प्रार्थना है कि वह इस पुस्तिका के माध्यम से पाठकों को लाभान्वित करे तथा लेखक, अनुवादक एवं प्रकाशक को सर्वोत्तम पुण्य प्रदान करें। (अल्लाह यह प्रार्थना स्वीकार कर ले)

मुक्तदा हसन अजहरी

जामिआ सलफिया, बनारस

१० शाबान् १४२२ हि०

प्राक्कथन

जकात के महत्व एवं विशेषता पर मैंने एक पुस्तक लिखी थी, जिस को लोकप्रियता प्राप्त हुई। इस पुस्तक की उपयोगिता को दृष्टि में रखते हुए मुझे अनेक व्यक्तियों ने इसका हिन्दी रूपान्तर करने का विचार दिया। यही नहीं बल्कि कुछ व्यक्तियों ने खुद ही इसका हिन्दी रूपान्तर करने की अनुमति भी चाही।

इस पुस्तक में कुछ मसाइल प्रथम प्रकाशन में सम्मिलित नहीं हो सके थे, अतः मैंने उचित समझा कि उनको इस प्रकाशन में सम्मिलित कर दिया जाये।

अब हिन्दी का यह प्रथम प्रकाशन आप के हाथों में है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस पुस्तक को हाथों हाथ लिया जायेगा, और अगर इस में किसी प्रकार का संशोधन योग्य निर्देश एवं सुझाव हो तो उस से मुझे अवश्य अवगत करायें, ताकि अगले प्रकाशन से संशोधन करके पुस्तक की उपयोगिता को बढ़ाने का प्रयास किया जा सके।

मैं मास्टर अहमद हुसैन साहब का आभारी हूँ कि उन्होंने इस पुस्तक का हिन्दी अनुवाद करके इसे हिन्दी भाषियों के लिए सरल बना दिया। अल्लाह तआला इस प्रयत्न को स्वीकार करे। (आमीन)

लेखक

जकात, इस्लाम का तीसरा मूल स्तम्भ (रुक्न)

الحمد لله رب العالمين، والصلوة والسلام على سيدنا محمد،
وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد:

فقد قال الله تعالى:

﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا
وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ
عَلِيمٌ﴾

(हे मुहम्मद ﷺ) आप उन के धन-सम्पत्ति में से जकात ले लीजिए जिस से आप उन को (दुष्टता से) पवित्र करेंगे और उन (धन-सम्पदा) की स्वच्छता होगी तथा आप उन के लिए अल्लाह की कृपा की प्रार्थना कीजिए । निःसंदेह आप की प्रार्थना उन के लिए शान्ति प्राप्ति का साधन है । अल्लाह सब कुछ जानने वाला सुनने वाला है ।

जकात (एक विशेष अनिवार्य दान) का महत्व :

जकात इस्लाम के पाँच भूत स्तम्भों में से तीसरा स्तम्भ (रुकन) है। जैसा कि हजरत उमर फारूक رضي الله عنه से 'हदीस जिब्रील' में वर्णित है तथा उन के पुत्र अब्दुल्लाह बिन उमर رضي الله عنه द्वारा वर्णित है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फरमाया:

«بنى الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله لمن استطاع إليه سبيلاً».

अर्थात् इस्लाम की आधारशिला पाँच स्तम्भों पर रखी गई है: १- इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के अतिरिक्त कोई सच्चा उपास्य नहीं और मुहम्मद ﷺ अल्लाह के रसूल हैं। २- नमाज स्थापित करना ३- जकात देना ४- रमजान महीने का रोजा (व्रत) रखना ५- बैतुल्लाह का हज्ज करना। (जो उस यात्रा की क्षमता रखता हो) (बुखारी व मुस्लिम)

जकात का महत्व इस बात से प्रदर्शित होता है कि अल्लाह ने पवित्र कुरआन में जकात का वर्णन बत्तीस (३२) स्थानों पर किया है। जिस में सत्ताईस (२७) स्थानों

पर उसका वर्णन नमाज के साथ है तथा सदका व सदकात के शब्द के साथ बारह (१२) स्थानों पर वर्णित है । तात्पर्य यह है कि इसकी बार-बार प्रेरणा दी गयी है। इस के अतिरिक्त संकेतों द्वारा भी इसका वर्णन है । उदाहरण स्वरूप सूरह मआरिज २४, २५ में अल्लाह का फरमान है :

﴿وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ۝ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾

(अल्लाह के सज्जन सेवक वह लोग हैं) जिन के धन सम्पदा में याचकों एवं असहायों के लिए एक अंश निश्चित है ।

और सूरह रूम में आयत संख्या ३८ में अल्लाह का फरमान है:

﴿فَاتِذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكْ خَيْرٌ
لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ﴾

अस्तु निकट-सम्बन्धियों को, निर्धन ग्रस्त (मिस्कीन) लोगों को तथा यात्रियों को उनका अंश दे दो यही उन लोगों के लिए श्रेष्ठ है जो लोग अल्लाह की प्रसन्नता चाहते हैं ।

जकात की श्रेष्ठता एवं लाभ :

जकात की श्रेष्ठता पवित्र कुरआन में स्थान-स्थान पर वर्णित है। अल्लाह का फ़रमान है कि देखो, तुम जकात दोगे उस से तुम्हारे माल में बढ़ोत्तरी होगी। तुम एक दोगे हम दस देंगे, अपितु उस से भी अधिक सात सौ गुना देते हैं। इसलिए उस में कृपणता (कंजूसी) उचित नहीं है।

एक स्थान पर वर्णन है :

﴿وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ﴾

हे लोगो जो तुम व्याज (पर धन) देते हो इसलिए कि लोगों के धन में बढ़ता रहे, तो (जान लो) यह अल्लाह के निकट नहीं बढ़ता और जो तुम जकात देते हो, अल्लाह की प्रसन्नता के लिए तो यही वह लोग हैं जो (अपने माल को) बढ़ाने वाले हैं।

(सूरह रूम : ३९)

रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया :

«ما نقص مال من صدقة»

दान से धन घटता नहीं है । (तिर्मिजी)

बुखारी (हदीस की प्रसिद्ध पुस्तक) में हजरत अस्मा رضي الله عنها से वर्णित है, वह कहती हैं कि मुझे से नबी ﷺ ने फरमाया कि खैरात (दान) को मत रोकना, नहीं तो तुम्हारी जीविका भी रोक दी जायेगी । दूसरा वर्णन अबू दाऊद द्वारा इसी विषय का है कि गिनने न लग जाना नहीं तो अल्लाह भी तुझे गिन-गिन कर ही देगा ।

जकात न देने पर चेतावनी :

जकात न देना, उस में बहाना बनाना और यह समझना कि यह हमारी धन-सम्पदा है, हम जो चाहें करें, यह भावना एवं कार्य धार्मिक आस्था के विरुद्ध है । जिस प्रकार नमाज को नकारने पर मनुष्य मुसलमान नहीं रह जाता उसी प्रकार जकात नकारने वाला भी इस्लाम की परिधि से बाहर हो जाता है । अल्लाह का फरमान है :

﴿وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ ۝ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ
بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ﴾

और वैल (नर्क का अति दुःखद खण्ड) है उन बहुदेव वादियों के लिए जो जकात नहीं देते तथा यही वह लोग हैं जो प्रलय (आखिरत) को नकारते

हैं । (हा० मीम० सज्दः - ६, ७)

विचार कीजिए ! जकात नकारने वालों को, शिर्क (अल्लाह के साथ अन्य की उपासना करना) और कुफ्र (अल्लाह को नकारना) जैसे घृणित शब्दों से याद किया गया है । बुखारी में हजरत अबू हुरैरह رضي الله عنه द्वारा वर्णित है, रसूलुल्लाह ﷺ ने फरमाया कि अल्लाह ने जिसको धन सम्पदा से सुशोभित किया, और उस ने जकात नहीं अदा किया, क़यामत के दिन उसका माल भयानक साँप के रूप में आयेगा । जिसकी आँखों के ऊपर दो काले बिन्दु होंगे, यह साँप उस के गले का हार होगा और उस के जबड़े को पकड़ कर कहेगा कि 'मैं हूँ तेरा माल' 'मैं हूँ तेरा खजाना' फिर नबी ﷺ ने इस आयत का पाठ किया ।

﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾

और वह लोग जिन को अल्लाह ने अपनी कृपा से सुशोभित किया है और वह कंजूसी (बुखल) करते हैं तो वह यह न समझें कि उनकी कंजूसी उन के

लिए उत्तम (लाभदायक) है। नहीं, यह तो उन के लिए हानिकारक है, निकट भविष्य में कयामत के दिन, जो यह कंजूसी करते हैं उसे उन के गले का हार बना दिया जायेगा। (आले इमरान : १८०)

अल्लाह तआला का यह भी फरमान है :

﴿وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ
اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۝ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ
جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا
كَنتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ﴾

जो लोग सोना, चाँदी का खजाना रखते हैं और अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, उनको दुःखद दण्ड की सूचना दे दीजिए, जिस दिन ऐसे खजाना को जहन्नम की आग में तपा कर उन के माथे, पीठ एवं शरीर के अन्य भाग को दागा जायेगा और कहा जायेगा कि यही तुम्हारा वह खजाना है जिसको तुम ने अपने स्वार्थ के लिए संचित किया था तो आज अपनी दौलत का स्वाद चखो। (सूरह तौब: - ३४, ३५)

जकात के प्रबन्ध का यथार्थ :

जकात एक स्थाई एवं निश्चित कर्तव्य है जिसकी व्यवस्था ऐसी नहीं है कि मनुष्य पर, उसकी इच्छा के अनुसार छोड़ दिया गया हो कि जिसे चाहें दें और जिसे चाहें धुतकार दें। अपितु यह एक सामुदायिक व्यवस्था है जिसका प्रबन्ध अच्छे ढंग से होना चाहिए। इस की पुष्टि इस से होती है कि अल्लाह ने इस व्यवस्था के संचालकों को *العاملين عليها* (जकात व्यवस्थित करने वालों) के नाम से याद किया है। और जकात के आठ उपयोग में से एक 'आमिलीन' के उपयोग को निश्चित कर के यह स्पष्ट कर दिया है कि इस प्रबन्धिक खर्च को उसी जकात की धनराशि से पूरा किया जायेगा। जिस सूरह में जकात के उपभोग का वर्णन है उसी सूरह में यह भी वर्णन है कि :

﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾

आप (ﷺ) उन के मालों में से जकात लीजिए, अर्थात् आप (ﷺ) को जकात वसूल करने का आदेश होता है।

अतः बुखारी एवं मुस्लिम में वर्णन है हजरत अब्दुल्लाह

बिन अब्बास رضي الله عنه कहते हैं कि नबी ﷺ ने जब हजरत मुआज बिन जबल رضي الله عنه को यमन भेजा तो उन को आदेश दिया :

«فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم،
تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإن هم أطاعوك
لذلك فخذ منهم وتوق كرائم أموالهم واتق دعوة
المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب»

"कि हे मुआज, आप उन को बता दीजिएगा कि अल्लाह ने उन के धन-सम्पदा में उन पर जकात अनिवार्य किया है जो उन के धनवानों से प्राप्त कर के उन के निर्धनों में वितरित कर दी जायेगी। यदि वह आप की बात स्वीकार कर लें तो उन से जकात वसूल करना और उन के सर्वोत्तम माल से बचना तथा अत्याचार भोगियों (मजलूमों) के शाप (बद्दुआ) से डरना क्योंकि शाप और अल्लाह के मध्य कोई रूकावट (ओट) नहीं होती। अर्थात् अल्लाह ऐसे व्यक्ति की प्रार्थना अति शीघ्र सुनता है।"

हदीस की पुस्तकों में आमिलीन (जकात व्यवस्था में

कार्यरत) का वर्णन है उनको दान एकत्र करने वाला भी कहा जाता है । नबी ﷺ अनेकों सहाबा को विभिन्न कबीलों के पास दान एकत्र करने के लिए भेजा करते थे ।

हदीस की पुस्तक अबू दाऊद में वर्णन है कि नबी ﷺ ने अबू मसऊद رضي الله عنه को साई (दान एकत्र करने वाला) बना कर भेजा था एक अन्य हदीस की पुस्तक 'मुसनद अहमद' में वर्णन है कि अबू जहम बिन होजैफा को मुसद्दिक (दान एकत्रक) बना कर भेजा । वलीद बिन उकबह को बनी मुसतलिक की ओर भेजा, मुहाजिर बिन अबी ओमय्या को "सनआ" की ओर, ज़ियाद बिन लबीद को हज़रामूत की ओर और हज़रत अली को नजरान की ओर भेजा (رضي الله عنه) । आप ﷺ इन लोगों को निर्देश देते तथा विनम्रता (शराफत) का व्यवहार करने की प्रेरणा देते थे।

अल्लामा इब्ने हज़म ने अपनी पुस्तक 'जवामिउ स्सियर' में लिखा है कि सदक्रात (दान) के सम्बन्ध में रसूलुल्लाह ﷺ के मुंशी हज़रत जुबैर बिन अब्वाम थे । यदि वह उपस्थित न होते तो जहम बिन सामित या हुजैफा बिन यमान رضي الله عنه लिखने का कार्य करते थे ।

जकात के सम्बन्ध में रसूलुल्लाह ﷺ को स्पष्ट आदेश था कि आप ﷺ जकात की सीमा में आने वालों से, उन के धन सम्पदा की जकात वसूल कीजिए । प्रथम खलीफा,

हजरत अबू बक्र सिद्दीक رضي الله عنه ने जकात नकारने वाले उन लोगों से जो अल्लाह के रसूल ﷺ के समय में, आप के पास जकात जमा करते थे, जकात रोकने पर युद्ध किया था। नबी ﷺ के समय में जैसा कि ऊपर वर्णन किया गया है जकात की लिखा-पढ़ी होती थी। अतः अबू बक्र رضي الله عنه ने स्पष्ट घोषणा की कि जो व्यक्ति ऊँट बाँधने की रस्सी या बकरी का बच्चा भी नबी ﷺ को दिया करता था अगर हमें नहीं देगा तो उस से युद्ध किया जायेगा।

जकात की व्यवस्था जो इस्लाम के मूल आधारों में से है यँही नहीं छोड़ दिया गया है कि आप अपनी इच्छानुसार जिसे चाहें दें, जिसे चाहें न दें। यह तो एक इबादत (उपासना) है यह तो और धन में एक अधिकार है जिसकी कुछ अनिवार्यतायें हैं, कुछ सीमायें हैं जिन के अन्दर रह कर ही हम उसे सम्पन्न कर सकते हैं। उन स्वेच्छा दान जैसी स्थिति नहीं है जिसे, अपनी इच्छा एवं पसन्द के अनुसार आवंटित किया जा सकता है तथा जिनकी पुण्य कार्य (नेकी) का फल अपनी आस्था एवं नीयत पर आधारित है। जिस में उत्तम दान वह है कि जिसे दानी और अल्लाह के अतिरिक्त कोई न जाने।

विचार कीजिए! अल्लाह अपने नबी ﷺ को आदेश देता है

कि ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾ आप उन के धन-सम्पदा में से जकात लीजिए। और हजरत अबू बक्र رضي الله عنه ने जकात न देने वालों से युद्ध किया।

मुसनद अहमद, अबू दाऊद और नसाई (हदीस की पुस्तकों) में रसूलुल्लाह ﷺ द्वारा वर्णित है कि :

«من أعطاه مؤتجرا فله أجرها ومن منعها فإننا آخذوها وشطر

ماله عزمة من عزمات ربنا، لا يحل لآل محمد منها شيء»

अर्थात् (जो जकात को) पुण्य की नीयत से देगा उसको उसका पुण्य मिलेगा और जो नहीं देगा तो मैं उसको वसूल करूँगा और साथ ही साथ उसका आधा माल भी ले लूँगा। यह हमारे पालनहार की ओर से दण्ड है। (कोई यह न समझे कि मैं अपने स्वार्थ के लिए ले रहा हूँ) मुहम्मद ﷺ के कुटुम्ब (घर वालों) के लिए इसका एक दाना (कण) भी हलाल (वैध) नहीं है।

भीख माँगने पर निषेध :

इस्लाम धर्म में भीख माँगने से रोका गया है। इसलिए व्यवसायिक रूप से भीख माँगने वालों का उत्साहवर्धन नहीं करना चाहिए। परन्तु यह ध्यान रहे कि भीख माँगने

वाले से कठोर वचन न कहें, क्योंकि अल्लाह का आदेश है :

﴿فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ ۝ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ﴾

अनाथ को कठोर बात न कहो और माँगने वाले को झिड़को नहीं । (अज्जोहा : ९,१०)

इस क्रम में जो हदीसों वर्णित हैं उन में से कुछ को यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ ।

बुखारी (हदीस की पुस्तक) में हजरत उरवह बिन जुबैर رضي الله عنه द्वारा वर्णित है, हकीम बिन हेजाम رضي الله عنه ने कहा कि मैंने रसूल ﷺ से कुछ माँगा, तो आप ﷺ ने मुझे दे दिया, मैंने पुनः माँगा, आप ﷺ ने दे दिया । पुनः माँगा, आप ﷺ ने पुनः दे दिया, उस के बाद आप ﷺ ने फ़रमाया :

«يا حكيم! إن هذا المال خضرة حلوة فمن أخذ بسخاوة

نفس بورك له فيه ومن أخذ بإشراف نفس لم يبارك له

فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع، اليد العليا خير من اليد

السفلى»

हे हकीम ! यह धन-सम्पदा बहुत सुन्दर एवं

आकर्षक वस्तु है । अस्तु जो इसे अपने हृदय की संतोष भावना से ले तो उस में उस के लिए बढ़ोत्तरी होगी और जो व्यक्ति लालच एवं तृष्णा से लेगा तो उस में उस के लिए वृद्धि नहीं होगी, उसकी दशा उस व्यक्ति जैसी होगी जो खाता तो है परन्तु संतुष्ट नहीं होता, (भूख नहीं मिटती) । (ध्यान रहे) ऊपर (देने) वाला हाथ, नीचे (लेने) वाले हाथ से अधिक उत्तम है ।

हकीम बिन हेजाम का कथन है कि मैंने रसूलुल्लाह ﷺ से शपथ पूर्वक कहा कि उस शक्ति की सौगन्ध! जिस ने आप ﷺ को सच्चाई के साथ रसूल बनाया, अब भविष्य में, मैं किसी से कोई याचना नहीं करूंगा । यहाँ तक कि मैं संसार से चल बसूँ । इतिहास साक्षी है कि यही हकीम हैं जिनको अबू बक्र رضي الله عنه ने कुछ दिया तो उन्होंने अस्वीकार कर दिया । हज़रत उमर رضي الله عنه ने भी कुछ दिया तो भी अस्वीकार कर दिया । यहाँ तक कि मालये फ़य (बिना युद्ध प्राप्त धन) से अपना अंश भी स्वीकार नहीं किया । अल्लाह उन से प्रसन्न हो ।

हज़रत जुबैर बिन अब्बास رضي الله عنه फ़रमाते हैं : नबी ﷺ ने कहा कि यदि तुम में से कोई अपनी रस्सी लेकर लकड़ी

का गट्ठा बांधे और अपनी पीठ पर लाद कर लाये और उसे बेचे और संसार का पालनहार उसका सम्मान सुरक्षित रखे तो यह उसके लिए, उस कार्य से अधिक श्रेष्ठ है कि वह लोगों से माँगता फिरे, लोग उसे दें या न दें । (बुखारी)

हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर رضي الله عنه ने कहा कि नबी ﷺ का कथन है कि जो मनुष्य सदैव लोगों से माँगता रहता है कयामत के दिन वह इस प्रकार उठेगा कि उसके चेहरा पर तनिक भी माँस न रहेगा । (बुखारी)

हजरत अबू हुरैरह رضي الله عنه से वर्णित है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने कहा कि जो मनुष्य लोगों से धन की याचना (धन संग्रह की भावना से) अपनी आवश्यक आवश्यकता से अधिक करे, इसका तात्पर्य यह है कि वह लोगों से आग का अंगार माँग रहा है । अब चाहे वह कम माँगे या अधिक (यह उसकी अपनी इच्छा पर है) (मुस्लिम)

हजरत अबू हुरैरह رضي الله عنه से नबी ﷺ का कथन वर्णन है, कहते हैं आप ﷺ ने कहा कि मिस्कीन (निर्धन आवश्यकता ग्रस्त) वह नहीं जिसे एकाध लुकमें (खाने की वस्तुयें) दें और वह प्रसन्न हो जाये । मिस्कीन तो वह है जिसकी आवश्यक आवश्यकता पूर्ति न हो और वह

याचना करने में लज्जा की अनुभूति करे तथा लोगों से बहुत लालाइट होकर याचना न करे। (बुखारी)

हजरत अब्दुल्लाह बिन अदी कहते हैं कि उन से दो व्यक्तियों ने वर्णन किया कि वह दोनों रसूलुल्लाह ﷺ के पास आये और आप ﷺ से दान-सम्पदा (सदका) में से कुछ माँगा। अल्लाह के रसूल ﷺ ने उन दोनों पर दृष्टि डाली तो देखा कि दोनों स्वस्थ हैं। आप ﷺ ने कहा कि यदि तुम दोनों चाहो तो मैं तुम्हारी याचना पूरी कर दूँ (परन्तु ध्यान रहे) «*ولا حظَّ فيها لغني ولا لقوي مكتسب*») कि इस धन में किसी सम्पन्न व्यक्ति का या ऐसे समर्थ व्यक्ति का जो स्वयं कमाई कर सकता हो, कोई अधिकार नहीं है। (अहमद, अबू दाऊद, नेसाई)

हजरत मुआज رضي الله عنه से नबी ﷺ ने कहा था कि :

«*تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم*»

उन के धनवानों से जकात प्राप्त कर के, उन के निर्धनों में वितरित कर दी जायेगी।

इस से ज्ञात होता है कि मुसलमानों की जकात की धनराशि, उन के आवश्यकता ग्रस्त भाई को ही दी जायेगी।

जकात का उपयोग :

जकात का उपयोग सब के लिए उचित नहीं है। उस के अधिकारी कौन और कैसे लोग हैं ? और उसका उपयोग कहाँ हो सकता है ? इसका विवरण भी पवित्र कुरआन एवं हदीस में है। कुरआन शरीफ में अल्लाह ने जकात के आठ उपयोग वर्णित करके, इस के प्रति लोगों को तृष्णा एवं लालच का द्वार बन्द कर दिया है। सूरह तौब: आयत ५८ से ६० में अल्लाह का फरमान है :

﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ ۝ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ ۝ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾

(हे मुहम्मद ﷺ) (जकात) सद्कात (के बँटवारा) के सम्बन्ध में कुछ लोग आप पर आरोप लगाते हैं।

यदि उस में से उन को दिया जाता है तो प्रसन्न होते हैं और यदि उस में से उन को न दिया जाये तो अप्रसन्न होते हैं। काश ! अल्लाह और उसके रसूल जो कुछ उन्हें दें उस पर वह संतोष करें और यह कहें कि अल्लाह हमारे लिए पर्याप्त है, निश्चय ही अल्लाह और उस के रसूल अपनी कृपा से हमें लाभ पहुँचायेंगे । हम तो अल्लाह ही से उम्मीद रखते हैं । ध्यान रहे कि जकात (१) निर्धनों के लिए है (२) मिस्कीनों (आवश्यकता ग्रस्त लोगों) के लिए है (३) उन लोगों के लिए है जो जकात व्यवस्था में कार्यरत हैं (४) उन लोगों के लिए है जिनको उत्साहित करना है (अर्थात् नव मुस्लिम) (५) जकात का उपयोग होगा गर्दन छुड़ाने के लिए (६) असहाय कर्जदार का कर्ज चुकाने के लिए (७) अल्लाह की राह में (८) और संकट ग्रस्त यात्रियों के कष्ट निवारण के लिए । यह अल्लाह का निर्देश है, अल्लाह सर्वज्ञ एवं सर्व शक्तिमान है ।

१- لِلْفُقَرَاءِ उन व्यक्तियों के लिए जो निर्धन हों ।

२- وَالْمَسَاكِينَ उन व्यक्तियों को कहते हैं जिनकी आवश्यक आवश्यकतायें पूर्ण न होती हों ।

- ३- وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا उन व्यक्तियों को कहते हैं जो जकात एकत्र करने के लिए नियुक्त हों। इस में वह सभी व्यक्ति सम्मिलित हैं जो जकात प्रबन्ध में लगे हों।
- ४- وَالْمُؤَلَّفَةَ قُلُوبُهُمْ जिस व्यक्ति ने धर्म परिवर्तन द्वारा इस्लाम धर्म स्वीकार किया हो और उसे अभी प्रोत्साहन की आवश्यकता हो।
- ५- وَفِي الرِّقَابِ मुसलमान गुलाम (स्त्री हो या पुरुष) को स्वतन्त्र कराना। इसी प्रकार युद्ध बन्दियों को स्वतन्त्र कराना जो असहाय हो गये हों।
- ६- وَالْغَارِمِينَ ऐसा असहाय व्यक्ति जो किसी आवश्यक आवश्यकता के समाधान में कर्जदार हो गया हो तथा उसके पास ऋण चुकाने का कोई सहारा न हो।
- ७- وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ सेनानी एवं योद्धा जो अल्लाह के प्रिय धर्म की श्रेष्ठता (सरबुलन्दी) के लिए समर्पित हो। जिस से कि अल्लाह का इच्छित धर्म श्रेष्ठता प्राप्त करे।
- ८- وَأَبْنِ السَّبِيلِ ऐसा यात्री जिस के पास अपने निवास

तक पहुँचने के लिए कोई संसाधन न हो तब उसे जकात से इतना धन दिया जा सकता है कि वह अपने निवास तक पहुँच सके, भले ही वह व्यक्ति अपने घर पर सम्पन्न ही क्यों न हो।

जकात के उपरोक्त आठ उपभोग हैं, इस के अतिरिक्त जकात की धनराशि नहीं व्यय करनी चाहिए। मस्जिद निर्माण कुंआ वगैरह बनवाने में जकात का उपयोग निषिद्ध है।

क्या जकात अन्य क्षेत्र में स्थानान्तरित की जा सकती है ?

इस्लाम मनुष्य के पथ-प्रदर्शन के लिए एक पूर्ण संदेश लेकर आया है। इसका उद्देश्य समाज को उन्नति एवं समृद्धि प्रदान करना है। वह धनवानों एवं निर्धनों के बीच का अन्तर मिटाना चाहता है। इसलिए जकात कोई व्यक्तिगत समस्या नहीं अपितु एक सुव्यवस्थित एवं निश्चित सामाजिक प्रबन्ध है। सहाबा के समय की परिस्थित इस के लिए स्पष्ट आदर्श है।

हजरत मुआज्ज बिन जबल رضي الله عنه की घटना, हमारे लिए आदर्श होना चाहिए। जिनको अल्लाह के नबी ﷺ ने यमन भेजा था, आप यमन में ही रहे। जब हजरत उमर

फारूक رضي الله عنه का प्रबन्ध काल आता है तो सम्पन्नता एवं समृद्धि भी आती है, उस काल में हजरत मुआज ने जकात की एक तिहाई धनराशि यमन से मदीना हजरत उमर के पास भेज दिया। हजरत उमर رضي الله عنه ने यह कह कर उसे अस्वीकार कर दिया कि आप को टैक्स और जिजिया (एक विशेष टैक्स) के लिए नहीं भेजा गया अपितु इस लिए भेजा गया है कि धनवानों से जकात वसूल कर के उन्हीं लोगों के निर्धनों में वितरित कर दो। हजरत मुआज ने उत्तर दिया कि हम ने यहाँ किसी का अधिकार हनन नहीं किया है अपितु अवशेष धनराशि ही आप को भेज रहा हूँ।

इस से ज्ञात होता है कि प्राथमिकता के तौर पर जकात के अधिकारी वहीं के निर्धन होते हैं और यदि आवश्यकता पूर्ति से अधिक हो तो उसे अन्य क्षेत्रों में स्थानान्तरित किया जा सकता है। जैसा कि उपरोक्त घटना से स्पष्ट होता है।

निकट सम्बन्धियों को जकात :

क्या जकात का माल अपने निकट सम्बन्धियों पर व्यय कर सकते हैं ? इमाम बुखारी ने अपनी पुस्तक सहीह बुखारी में एक अध्याय रखा है: «باب الزكاة على الأقارب»

और उस में अल्लाह के रसूल ﷺ का यह कथन लिखा है कि : « له اجران القرابة والصدقة » अर्थात् उसको दो गुना पुण्य प्राप्त होगा । एक तो सम्बन्ध जोड़ने का और दूसरा दान का । (यह बात आप ﷺ ने हजरत जैनब के सम्बन्ध में कही थी जो हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद رضي الله عنه की पत्नी थीं)

दूसरी हदीस हजरत अबू हुरैरह की है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फरमाया :

«خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى وابدأ بمن تعول»

सर्वोत्तम दान वह है जिसे देने के उपरान्त भी मनुष्य धनवान रहे । दान पहले उन्हें दो जो तुम्हारे संरक्षण में हो । (यदि वह दान के पात्र हों) (बुखारी)

उपरोक्त हदीसों से स्पष्ट होता है कि अपने निकट सम्बन्धी यदि वह दान पात्र हैं तो सदका और जकात में से सर्वप्रथम उन्हीं का अधिकार है । क्योंकि ऐसे दानी को दो गुना पुण्य का शुभ संदेश सुनाया गया है ।

अतः अबू तल्हा अन्सारी رضي الله عنه जो मदीना में अपने खजूर के बागों की वजह से सब से अधिक धनवान थे तथा

'बैरहा बाग' जो नबी ﷺ के सम्मुख था, रसूलुल्लाह ﷺ उस में टहलने जाया करते थे और उस के कुएं का मधुर जल पिया करते थे, उनको सब से अधिक प्रिय था, जब पवित्र कुरआन की यह आयत अवतरित हुई कि :

﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾

तुम पुण्य उस समय तक प्राप्त नहीं कर सकते जब तक कि तुम अपनी प्रिय वस्तु (अल्लाह की राह में) न खर्च कर दो। (आले इमरान : ९२)

तब अबू तलहा رضي الله عنه रसूलुल्लाह ﷺ की सेवा में उपस्थित हुए और निवेदन किया कि हे रसूलुल्लाह ﷺ मुझे 'बैरहा बाग' सब से अधिक प्रिय है, इसलिए मैं उसे अल्लाह के लिए दान करता हूँ। मैं उसका पुण्य, परलोक में स्वयं के लिए सुरक्षित रहने की आशा करता हूँ। आप ﷺ जहाँ उचित समझें उपयोग करें। (अल्लाह के रसूल ﷺ ने अबू तलहा से जो कहा, ध्यान देने योग्य है), आप ﷺ ने कहा «بِخْ ذَلِكَ مَالِ رَابِحٍ ذَلِكَ مَالِ رَابِحٍ» अति उत्तम है, यह तो लाभप्रद है, यह तो बहुत आय वाला है। अबू तलहा जो तुम ने कहा मैंने सुना, मैं उचित समझता हूँ कि तुम उसे अपने निकट सम्बन्धियों को दे दो। अबू तलहा ने कहा, हे रसूलुल्लाह ﷺ मैं वैसा ही करूँगा। अतः उन्होंने उसे

अपने सम्बन्धियों एवं चचा के बेटों को दे दिया। (इस हदीस को भी इमाम बुखारी ने *باب الزكوة على الأقراب* में रखा है)

निकट सम्बन्धियों को देने में एक विशेषता यह भी है कि इससे धन में वृद्धि होती है। जैसे कि हजरत अनस رضي الله عنه से वर्णित है कि मैंने सुना, रसूलुल्लाह ﷺ कह रहे थे :

«من سره أن يبسط له رزقه أو ينسأله في أثره فليصل

رحمه»

जो व्यक्ति अपनी आय में बढ़ोत्तरी चाहता हो या आयु वृद्धि चाहता हो तो उसे चाहिए कि अपने निकट सम्बन्धियों के साथ सर्वोत्तम व्यवहार करे।

(बुखारी, *باب من أحب البسط في الرزق*)

निकट सम्बन्धियों को देते समय यह स्पष्ट जान लेना चाहिए कि जकात हम अपने सम्बन्धियों में उन्हीं को दे सकते हैं जिनकी आवश्यकता पूर्ति का दायित्व हम पर नहीं है। उदाहरण स्वरूप, माता-पिता, संतान और पत्नी को छोड़ कर कोई भी रिश्तेदार यदि जकात लेने का पात्र है तो उस पर जकात खर्च किया जा सकता है। बल्कि यदि पात्रता के आधार पर रिश्तेदार और अपरिचित

बराबर हों तो रिश्तादार को वरीयता देना उत्तम है ।

जकात की सीमा :

अब प्रश्न यह है कि जकात किन-किन वस्तुओं में अनिवार्य है और कितना परिमाण अनिवार्य है? अल्लाह के नबी ﷺ ने इस तथ्य को भी स्पष्ट कर दिया है । हदीस में हजरत अबू सईद رضي الله عنه से वर्णित है कि नबी ﷺ ने हाथ की पाँच अंगुलियों से संकेत करके कहा ।

«ليس فيما دون أواق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود

صدقة وليس فيما دون خمس أوسق صدقة وأشار بيده»

अर्थात् पाँच ओकिया (एक विशेष पैमाना = 52½ तौला) से कम चाँदी में जकात नहीं है । पाँच ऊँट से कम में जकात नहीं है । और पाँच वसक (एक विशेष पैमाना) से कम अनाज में जकात नहीं है ।

उस समय में नाप तोल का जो पैमाना प्रचलित था उसी का वर्णन किया । एक ओकिया ४० दिरहम का होता था, अर्थात् जिस के पास दो सौ दिरहम से कम चाँदी हो उस पर जकात नहीं है । इसी प्रकार एक वसक ६० साअ का होता था अर्थात् तीन सौ साअ से कम अनाज हो तो उस पर जकात नहीं है । सीमा निर्धारण का स्पष्ट विवरण

आगे प्रस्तुत होगा ।

इस्लाम, सरल एवं प्रकृति अनुकूल धर्म है :

इस्लाम एक प्रकृति अनुकूल धर्म है और उस ने प्रत्येक आदेश एवं निर्देश को सरल बनाया है कि कम पढ़ा-लिखा भी उसे आसानी से समझ सके । जैसा कि उपरोक्त हदीस में हाथ की पाँच अंगुलियों के संकेत से सीमा निर्धारित की गयी है । इसी प्रकार आप ध्यान दीजिए, पाँच ही के हिसाब पर जकात का अनुपात निश्चित किया गया है । उदाहरण स्वरूप वह धन जो मनुष्य को बिना किसी कठोर परिश्रम के प्राप्त हो, जैसे जमीन में छिपा कोई खजाना जिस को अरबी भाषा में 'रेकाज' कहते हैं, उस में पाँचवा हिस्सा जकात देना है । इसी प्रकार वह धन जो मनुष्य को परिश्रम से प्राप्त हो जैसे खेती और फल इत्यादि । इस में आकाशीय जल से सिचाई हुई हो तो इसका आधा अर्थात् दसवाँ हिस्सा जकात देना होगा और यदि आप ने परिश्रम से सींचा है तो इसका आधा अर्थात् बीसवाँ हिस्सा जकात है । परन्तु कुछ धन ऐसे हैं जिस की प्राप्ति में मनुष्य को कठोर परिश्रम करना पड़ता है, दौड़-धूप करनी पड़ती है, घाटे का भी भय रहता है, जैसे व्यापारिक वस्तुयें । ऐसे धन में बीसवाँ का आधा अर्थात् चालीसवाँ हिस्सा जकात है । यहाँ एक शर्त और है कि

एक वर्ष पूर्ण होने पर ही जकात अनिवार्य होगी ।

सोना और चाँदी की जकात इसी प्रकार चालीसवाँ हिस्सा है अर्थात् पाँच ओकिया चाँदी होने पर पाँच दिरहम जकात है । एक ओकिया चालीस दिरहम का होता है ।

व्यापारिक माल पर जकात :

अल्लाह ने सोना-चाँदी एकत्र करने और उस पर जकात न देने पर कड़ी चेतावनी दी है । उस स्थिति की समीक्षा करें तो हमें यह ज्ञात होगा कि मात्र सोना-चाँदी ही आपेक्षित नहीं है अपितु इस परिधि में वह सम्पूर्ण धन आते हैं जिस से किसी मनुष्य के धनवान या निर्धन होने का अनुमान होता है । आज हमारे पास सोना-चाँदी बहुत नहीं है लेकिन सिक्के और नोटें हैं, बैंक बैलेंस है जो हमारा मूल धन है जिस से हम अपना व्यवसाय चलाते हैं, उस समय यह सब सोने-चाँदी के रूप में थे । उस समय दो प्रकार के सिक्के प्रचलित थे, चाँदी के दिरहम और सोने के दीनार । तब संसार में दो सुपर पावर (शक्तिशाली साम्राज्य) थे, एक फ़ारस दूसरा रोम । फ़ारस का सिक्का चाँदी का दिरहम था और रोम का सिक्का सोने का दीनार ।

चूँकि मक्का-मदीना में अधिकांश प्रचलन दिरहम का था, इसलिए स्थान-स्थान पर उसी का वर्णन मिलता है । वैसे

सोने की सीमा निर्धारण भी अल्लाह के नबी ﷺ द्वारा वर्णित है। बीस मिसकाल या बीस दीनार होने पर आधा मिसकाल या आधा दीनार जकात है।

एक दीनार या मिसकाल की तोल क्या थी? इस पर विद्वानों में मतभेद है। परन्तु सब से विश्वसनीय मार्ग यह है कि आज भी संसार के संग्राहलयों में प्राचीन काल के दीनार रखे हैं। अब्दुल मलिक बिन मरवान का दीनार भी है जो कि इस्लामी शासन काल का पहला दीनार है, इसकी तोल वर्तमान पैमाना से सवा चार ग्राम है। इस प्रकार बीस दीनार की तोल ८५ ग्राम होता है। इसलिए आज यदि किसी के पास ८५ ग्राम सोना हो और एक वर्ष पूर्ण हो गया हो तो उस पर जकात अनिवार्य है। और उसको उस में ढाई प्रतिशत अर्थात् चालीसवाँ हिस्सा जकात देनी चाहिए।

सहाबा से वर्णित है कि हम अल्लाह के नबी ﷺ के जमाने में उन सभी वस्तुओं में जकात निकालते थे जिन्हें हम व्यापार उद्देश्य से रखते थे।

अबू दाऊद में हजरत समुरह बिन जुन्दुब رضي الله عنه से वर्णन है :

«كان رسول الله ﷺ يأمرنا أن نخرج صدقة مما نعد للبيع»

रसूलुल्लाह ﷺ का हम को आदेश था कि हम उन वस्तुओं में से जकात दें जिनको हम बेचने की नीयत रखते हों ।

निष्ठावर हो जाईये ऐसे रसूल उम्मी (अनपढ़) पर जिन के पवित्र मुख से हिक्मत के मोती बिखरा करते थे । विचार कीजिए ! **ممانع للبيع** में वह सब वस्तु सम्मिलित है जिसे मनुष्य लाभ प्राप्ति के लिए रखता है कि समय आने पर अच्छे भाव से बेचेगा । इस में वस्तु का विवरण नहीं है और न ही उसकी आवश्यकता है । प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जिस के हृदय में अल्लाह का डर है उपरोक्त वाक्य का अर्थ समझ सकता है तथा स्वयं निर्णय ले सकता है ।

आज मनुष्य अपनी पूँजी को अनेको प्रकार से विभिन्न वस्तुओं में लगा रहा है, मूल रूप से उसकी नीयत क्या है यह वह मनुष्य और उसका अल्लाह ही जानता है कि उसने निजी आवश्यकता के लिए खरीदा है या व्यापार के लिए लाभ की नीयत से । यह तथ्य अल्लाह से छिपा नहीं है । महाप्रलय (क्रियामत) के दिन उस मनुष्य और अल्लाह के मध्य कोई ओट न होगी, और उसे अल्लाह ही के सम्मुख हिसाब देना होगा ।

इसलिए प्रत्येक मनुष्य को अपना हिसाब कर के उचित

जकात की धनराशि इस्लामी व्यवस्थानुसार उसके अधिकारियों तक पहुँचा देना चाहिए। किसी प्रकार झूठा तर्क या बहाना बनाकर वह हिस्सा उसे अपने धन-सम्पदा में सम्मिलित नहीं रखना चाहिए। क्योंकि यह अल्लाह की ओर से निश्चित किया गया कर्तव्य है। यदि किसी ने जकात अदा न किया अपने धन से अलग न किया या पूर्ण भुगतान न किया, मात्र कुछ देकर लोगों से झूठ बोल दिया कि जकात की धनराशि समाप्त हो गई है तो उसे यह विचार अवश्य करना चाहिए कि जकात की राशि उस के धन-सम्पदा में सम्मिलित है और वह स्वयं उस में से खा रहा है जो उसके लिए अवैध है तथा क़यामत के दिन उस अल्लाह के सम्मुख उपस्थित होना है जो हृदय के भेद को भली-भाँति जानता है तथा कण-कण का हिसाब चुका लेगा, क्या उत्तर देगा?

अल्लाह हम सब को उचित एवं वैध जीविका (हलाल रोजी) प्रदान करे और इस्लामी निर्देशानुसार जीवन व्यापन की क्षमता दे तथा क़यामत के दिन, अपमान से बचाए (अल्लाह यह प्रार्थना स्वीकार कर ले)

जकात के सीमा निर्धारण की विस्तृत विवेचना :

जकात की सीमा का वर्णन प्रस्तुत है, आशा है कि यह

समझने के लिए पर्याप्त होगा ।

१- चाँदी : इसकी सीमा पाँच ओकिया है तथा एक वर्ष पूरा होना शर्त है । अर्थात् जिस व्यक्ति के पास पाँच ओकिया या उससे अधिक चाँदी गत एक वर्ष से हो तो उस पर जकात अनिवार्य है । एक ओकिया चालीस दिरहम का होता है, पाँच ओकिया दो सौ दिरहम के बराबर हुआ

Oncia यूनान का अविष्कार है जो एक विशेष परिमाण का नाम है । जब रोम वाले मिस्र पर अधिकार प्राप्त कर लिए तो वहाँ उसका प्रचलन हुआ, पुनः मिस्र और सीरिया से अरब व्यापारी मक्का और मदीना लाये । नबी ﷺ के समय में यही प्रचलित था । हदीस की पुस्तकों में नबी ﷺ की पत्नियों की 'मुहर' साढ़े बारह ओकिया बतायी गयी है । अर्थात् $12.5 \times 40 = 500$ दिरहम ।

एक दिरहम की तोल 2.975 ग्रा॰ बताया गया है । इस प्रकार एक ओकिया का भार = 40×2.975 ग्रा॰ = 119 ग्रा॰ हुआ ।

इसलिए चाँदी की सीमा = 5×119 ग्रा॰ = 595 ग्रा॰ है यदि किसी व्यक्ति के पास 595 ग्रा॰ या उससे अधिक शुद्ध चाँदी हो और एक वर्ष बीत चुका हो तो उस पर ढाई

प्रतिशत या चालीसवाँ हिस्सा जकात है ।

उदाहरण स्वरूप यदि शुद्ध चाँदी का मूल्य (बाजार में) 8000/kg. इसलिए $595 \text{ ग्र}^\circ = \text{Rs. } 8000 \times 595\% / 1000 = 4760/=$ हुआ । और इस मूल्य का ढाई प्रतिशत $4760 / 2.5\% \times 100$ अर्थात् Rs. 119/= जकात की धनराशि होगी ।

और यही उपरोक्त परिभाषा, व्यापारिक वस्तुओं की जकात की भी सीमा है । अर्थात् जिसके पास 595 ग्र॰ शुद्ध चाँदी के मूल्य के बराबर पूँजी या धन हो और एक वर्ष पूर्ण हो चुका हो तो उसके उस धन में ढाई प्रतिशत या चालीसवाँ हिस्सा जकात अनिवार्य है । जिसका विस्तृत विवरण आगे व्यापारिक माल में जकात की सीमा में प्रस्तुत किया जायेगा ।

सोना : इस की सीमा बीस मिस्काल है और एक वर्ष पूर्ण होना शर्त है ।

मिस्काल अरबी भाषा का शब्द है और पवित्र कुरआन में यह शब्द अनेकों स्थान पर वर्णित है । यह शब्द एक विशेष परिमाण (भार) के लिए बोला जाता है, कैसर नैरूत ने इसी भार के बराबर शुद्ध सोना का सिक्का ढाला जिसका नाम Denarius Aurius रखा । यही सिक्का मिस्र, अफ्रीका, एशिया और अरब देशों में प्रचलित हुआ

तथा अरब देशों में दीनार के नाम से पुकारा गया। जिसकी तोल सवा चार ग्राम थी। नबी ﷺ ने इसी सिक्का को जो कि मक्का में प्रलचित था परिमाण बनाया।

अब्दुल मलिक बिन मरवान ने अपने शासनकाल में दमिश्क में सिक्का ढालने का कारखाना बनवाया और जो पहला सिक्का ढलवा कर प्रचलित किया वह दीनार भी इसी तोल का था जो आज भी संग्रहालय में मौजूद है।

अतः सोना की सीमा बीस मिस्काल या बीस दीनार
 $= 4.25 \times 20$ ग्राम = 85.00 ग्राम सोना होगा।

अतः यदि किसी के पास 85 ग्राम या उस से अधिक शुद्ध सोना हो और एक वर्ष पूर्ण हो गया हो तो उस पर ढाई प्रतिशत या चालीसवाँ हिस्सा जकात है।

आभूषण पर जकात :

सोना और चाँदी के सम्बन्ध में यह तथ्य स्पष्ट जान लेना चाहिए कि यह धातुयें चाहे किसी भी रूप में हों जकात की सीमा में आने पर जकात अनिवार्य होगा। ऐसे आभूषण जिसे प्रयोग में नहीं लाते तथा ऐसे आभूषण जिसे प्रयोग में लाते हैं सब की गणना जकात निर्धारण के लिए आवश्यक है, क्योंकि अल्लाह के नबी ﷺ ने

स्त्रियों के हाथ में कंगन और छल्ले (कड़ा) के बारे में कहा कि यदि उनकी जकात नहीं दी जाती तो इसकी गणना कंज (खजाना) में होगी, जिस के सम्बन्ध में पवित्र कुरआन में कड़ी चेतावनी दी है।

अबू दाऊद में अम्र बिन शोएब अन अबीह अन जद्देहि द्वारा वर्णन है कि एक स्त्री अपनी बच्ची के साथ रसूलुल्लाह ﷺ की सेवा में उपस्थित हुई, बच्ची के हाथ में सोने के कंगन थे, आप ﷺ ने पूछा :

«أعطين زكاة هذا؟ قالت لا، قال: أيسرك أن يسورك»

الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ قال: فخلعتهما

إلى النبي ﷺ وقالت: هما لله ورسوله»

क्या तुम इसकी जकात देती हो? उसने कहा नहीं, आप ﷺ ने कहा कि क्या तुम्हारी यह इच्छा होगी कि क़यामत के दिन इसके बदले में अल्लाह तुम्हें आग के दो कंगन पहनाये? यह सुन कर उस औरत ने वह दोनों कंगन उतार दिये तथा नबी ﷺ की सेवा में रख दिया, और कहा कि यह अल्लाह और उस के रसूल ﷺ के लिए है।

दूसरी हदीस अबू दाऊद, दारे कुतनी, हाकिम और बैहिकी की है। हजरत आयेशा सिद्दीका رضي الله عنها कहती हैं कि

रसूलुल्लाह ﷺ मेरे पास आये तो देखा कि मेरे हाथ में चाँदी के छल्ले हैं, आप ﷺ ने पूछा कि आयेशा यह क्या है? हजरत आयेशा ने कहा कि हे रसूलुल्लाह ﷺ मैंने यह इसलिए पहना है ताकि आप को सुसज्जित दिखाई दूँ, इस पर आप ﷺ ने कहा :

«أتؤدين زكوتهن؟ قالت: لا، أو ما شاء الله قال: هو

حسبك من النار»

क्या तुम इसकी जकात देती हो? हजरत आयेशा ने कहा नहीं, आप ﷺ ने कहा कि तब तो यह तुम्हें (जहन्नम की) आग के लिए पर्याप्त हैं ।

तीसरी हदीस अबू दाऊद की है, हजरत उम्मे सलमा رضي الله عنها कहती हैं कि मैं सोने का आभूषण पहन लिया करती थी, इस सम्बन्ध में मैंने रसूलुल्लाह से पूछा कि क्या यह कंज (खजाना) है? तो आप ﷺ ने फरमाया :

«ما بلغ أن تؤدى زكوته فزكي فليس بكنز»

जो जकात की सीमा में हो और उस पर जकात दे दी जाये वह कंज (खजाना) नहीं है ।

आशा है कि उपरोक्त तीन हदीसों समस्या के स्पष्टीकरण के लिए पर्याप्त होंगी ।

जकात का भुगतान वस्तु के रूप में करना :

क्या जकात भुगतान के लिए उतने ही मूल्य की कोई वस्तु दी जा सकती है? इस सम्बन्ध में बुखारी का एक बाब है «باب العرض في الزكاة» इसमें हजरत मुआज رضي الله عنه के यमन जाने की घटना का वर्णन है, हजरत मुआज ने यमन वासियों से कहा था कि मुझे तुम जौ और ज्वार के बदले अन्य वस्तुयें अर्थात् खमीसह (धारीदार चादरें) या अन्य वस्त्र सदका (जकात) के भुगतान के लिए दे सकते हो जिस में तुम्हारे लिए भी आसानी होगी और मदीना में नबी ﷺ के असहाब के लिए उचित होगा, और नबी ﷺ ने (ईद के दिन औरतों से) कहा था «تصدقن ولو من حليكن» सदका (दान) करो चाहे तुम्हें अपने आभूषण ही क्यों न देने पड़ जायें। तो आप ﷺ ने यह नहीं वर्णन किया कि सामान का सदका उचित नहीं है। (बुखारी)

परन्तु वर्तमान युग में जब कि प्रत्येक वस्तु बाजार में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, नकद भुगतान अधिक उचित है, क्योंकि आवश्यकतायें भिन्न-भिन्न प्रकार की होती हैं तथा सदका लेने वाला अपनी आवश्यक वस्तु बाजार में आसानी से खरीद सकता है।

मैंने यह वर्णन इसलिए लिखा है क्योंकि कुछ लोग

«تصدقن ولو من حليكن» से आभूषण में जकात के विरोध में तर्क स्थापित करते हैं, यद्यपि समस्या स्पष्ट है। यदि किसी के पास आभूषण की जकात के लिए अलग से धनराशि न हो और उस पर जकात अनिवार्य हो तो वह जकात के लिए आभूषण दे सकता है।

व्यापारिक वस्तुओं में जकात :

इस की सीमा चाँदी की सीमा होनी चाहिए, क्योंकि प्राचीन काल में सिक्के चाँदी या सोने के होते थे तथा इसी की सीमा से जकात, दिरहम या दीनार में भुगतान किया जाता था। इस युग में व्यापार का लेन-देन नोट-सिक्कों से होता है। नोट-सिक्का का अस्तित्व मात्र यह है कि कागज पर एक शपथ है जो साधारण तौर से प्रचलित है। कुछ लोग कहते हैं कि सिक्का का मुआदला (परिवर्तन) सोना से होता है और चाँदी के सिक्का का मूल्य निश्चित करने में कोई सबूत नहीं है, यदि महत्व है तो सोना का है। अतः व्यापारिक वस्तु की जकात सीमा वही होनी चाहिए जो सोना की है, परन्तु यह तर्क विचारधीन है। क्योंकि :

१- जकात एक उपासना (इबादत) है, जिस प्रकार अन्य उपासना जैसे नमाज़, रोज़ा और हज्ज के विस्तृत

(तफसीली) आदेश हदीस में वर्णित हैं उसी प्रकार जकात के आदेश भी विस्तार से वर्णित हैं ।

२- इस्लाम का आधार पाँच स्तम्भों पर बताया गया है । जिसका तीसरा स्तम्भ जकात है, इसलिए इस महत्वपूर्ण उपासना (जकात) के सम्बन्ध में यह नहीं कल्पना की जा सकती है कि इस के आदेश समय के साथ परिवर्तित हो सकते हैं ।

कुरआन एवं हदीस के अध्ययन से यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि अल्लाह ने इबादत (उपासना) को अपने लिए विशेष कर रखा है तथा उनको सम्पूर्ण परिस्थितियों एवं स्वरूपों से अपनी पवित्र किताब कुरआन एवं रसूल ﷺ की हदीस के माध्यम से मनुष्य को अवगत करा दिया । अब उस में किसी भी प्रकार से तनिक भी परिवर्तन सम्भव नहीं है और न ही (इस सम्बन्ध में) किसी के अपने विचार का कोई महत्व है ।

अतः पवित्र कुरआन में उपासना (इबादत) को शब्द 'निर्देश' का प्रयाय बना कर यह बता दिया गया है कि केवल वही उपासना अल्लाह को स्वीकार होगी एवं पुण्य कार्य माना जायेगा जो मूल श्रोतों से प्रमाणित है तथा जिस के करने का निर्देश कुरआन एवं हदीस से मिलता

है, जैसा कि सूरह यूसुफ की आयत ४० में वर्णित है ।

﴿إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ﴾

आदेश केवल अल्लाह का मान्य है, उसी ने आदेश दिया है कि उस (अल्लाह) के अतिरिक्त किसी की भी उपासना न करो ।

और सूरह आराफ की आयत २९ में वर्णन है :

﴿قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾

आप (ﷺ) कह दीजिए कि मेरे पालनहार ने आदेश दिया है न्याय करने का और यह कि तुम प्रत्येक सज्दा (सिर टेकना) के समय अपने चेहरे को सीधी दिशा में रखो तथा अल्लाह की उपासना इस प्रकार करो कि यह उपासना मात्र उसी (अल्लाह) के लिए विशषे रहे ।

और सूरह मायेदा की आयत ११६ में वर्णन है कि हजरत ईसा عليه السلام से कयामत के दिन अल्लाह यह प्रश्न पूछेगा कि संसार में जो तुम्हारी और तुम्हारी माँ की उपासना होती थी, तो क्या तुम ने वैसा करने का निर्देश दिया था?

हजरत ईसा عليه السلام उत्तर देंगे :

﴿مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنْ أَعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي
وَرَبَّكُمْ﴾

मैंने तो उन से और कुछ नहीं कहा था परन्तु उतना ही जो तूने मुझे कहने का आदेश दिया था कि उपासना करो केवल अल्लाह की, जो मेरा भी पालनहार है और तुम लोगों का भी। (अल-मायेदा : ११७)

उपरोक्त आयतों से पूर्णतः स्पष्ट है कि उपासना के लिए प्रमाणिक आदेश होना चाहिए, प्रमाणिक आदेश के बगैर उपासना का कोई भी स्वरूप अल्लाह को मान्य नहीं है।

और सूरह तौबः की आयत ३०-३१ में यहूदियों एवं ईसाईयों की गुमराही (पथभ्रष्टता) का यही मुख्य कारण बताया गया है कि वह उपासना के कार्य में अपने धर्मगुरुओं एवं संतों के इच्छानुसार कार्य करने लगे थे और यदि कोई उन्हें उन के पालनहार का आदेश सुनाता भी तो वह लोग उसकी बात, यह मानते हुए नकार देते कि उनके धर्म गुरु एवं संत सर्वोपरि हैं अर्थात् यही लोग उन के पालनहार हैं।

अल्लाह का कथन है :

﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ
وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا﴾

कि उन लोगों ने अल्लाह को उपेक्षित कर के अपने धर्मगुरुओं, संतों एवं मरियम के पुत्र मसीह को अपना पालनहार बना लिया, हालाँकि उन्हें मात्र एक अल्लाह की इबादत का आदेश दिया गया था। (सुरतुत तौबा : ३१)

और अल्लाह के नबी ﷺ ने फ़रमाया :

«من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد»، «مَنْ أَحْدَثَ
فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ» (بخاري، مسلم)

जो व्यक्ति कोई ऐसा कार्य करे जिसे करने के लिए हमारा आदेश नहीं या हमारे किसी निर्देश के सम्बन्ध में कोई ऐसा तथ्य आविष्कार करे जो उस निर्देश में न हो तो उसका यह कार्य अस्वीकृत एवं निरर्थक है।

पवित्र कुरआन एवं हदीस के उपरोक्त वर्णन से यह तथ्य सब की समझ में आ जाना चाहिए कि कोई भी उपासना

या कार्य जो कि पुण्य (नेकी) समझ कर किया जाये चाहे अपने स्वयं के लिए हो या दूसरों के इसाले सवाब के लिए हो, यदि उस का यह कार्य एवं उसका यह ढंग पवित्र कुरआन एवं हदीस से प्रमाणित नहीं तथा उसके करने का आदेश नहीं तो यह निरर्थक एवं घृणित होगा। उस पर पुण्य की आशा रखना उस 'मृगतृष्णा' (सराब) जैसा है कि जब प्यासा वहाँ जल की आस में पहुँचता है तो उसे कुछ प्राप्त नहीं होता।

उपासना के सम्बन्ध में उपरोक्त तथ्य 'पूरक' के रूप में वर्णन कर दिया गया है जिस से कि उपासना का भावार्थ स्पष्ट हो जाये तथा जो नई-नई बातें पुण्य समझ कर वर्तमान युग में आविष्कार की जाती हैं उसकी वास्तविकता समझ में आ जाये।

अब जकात की समस्या जो एक उपासना है तो उस में हमें यह देखना चाहिए कि अल्लाह के रसूल ﷺ द्वारा सोने चाँदी के सम्बन्ध में वर्णन क्या है तथा वर्तमान काल में करेंसी की जकात निकालते समय हमें कौन सा मार्ग अपनाना चाहिए।

बुखारी, मुस्लिम तथा हदीस की अन्य प्रमाणिक पुस्तकों के अनुसार अल्लाह के रसूल ﷺ द्वारा जहाँ भी जकात की

सीमा का वर्णन है वहाँ सोने एवं चाँदी के सम्बन्ध में अवाक का वर्णन है। अवाक शब्द ओकिया का बहुवचन है, ऊपर बताया जा चुका है कि एक ओकिया चालीस दिरहम का होता है। दिरहम चाँदी का सिक्का है, मुस्लिम शरीफ में हजरत जाबिर رضي الله عنه द्वारा यह शब्द वर्णित है :

«ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة»

चाँदी पाँच ओकिया से कम होने पर जकात की सीमा में नहीं आती।

अब सोने (दीनार) की सीमा का प्रश्न है तो उसकी सीमा के सम्बन्ध में ऐसी ही ठोस हदीसों उपलब्ध नहीं हैं जैसी कि चाँदी के सम्बन्ध में।

नबी ﷺ के युग में जो दीनार एवं दिरहम प्रचलित थे उन के भारों का अनुपात ७:१० का था अर्थात् ७ दीनार का भार १० दिरहम का भार। तथा मूल्यों का अनुपात १ दीनार का मूल्य १० दिरहम का मूल्य। चूँकि मूल्य के आधार पर दिरहम छोटा सिक्का था इसलिए उसका भार समयानुसार बदलता रहा तथा भिन्न-भिन्न भार के दिरहम ढलते रहे, इस के विपरीत सोने के सिक्का में परिवर्तन कम हुआ। इसलिए शोध कर्ताओं ने चाँदी के

सीमा निर्धारण में सोने के भार से सहायता ली है, तदानुसार गणना करके $8.25 \times 9/10 = 2.975$ ग्राम एक दिरहम का भार निश्चित किया है। अब रही मूल्य निश्चित करने की समस्या, तो हमें इमाम मालिक रहमतुल्लाह जो इमाम दारूल हिजरह के नाम से प्रसिद्ध हैं, की पुस्तक 'मोअत्ता' में उनका कथन मिलता है जिस से हमारे तर्क की पुष्टि होती है।

इमाम मालिक रहमतुल्लाह कहते हैं : एक व्यक्ति के पास कुल एक सौ साठ दिरहम हैं, उस के शहर में आठ दिरहम का एक दीनार मिलता है तो उस पर जकात अनिवार्य न होगी। क्योंकि जकात तब अनिवार्य होगी जब उस के पास बीस दीनार या दो सौ दिरहम पूर्ण हों, (यद्यपि उपरोक्त भाव से बीस दीनार के बराबर दिरहम हैं) इमाम मालिक रहमतुल्लाह ने कहा कि मेरी समझ में सर्वमान्य आदर्श (सुन्नत) यह है कि जकात जैसे दो सौ दिरहम पर देय है उसी प्रकार बीस दीनार पर भी, इस से स्पष्ट होता है कि सोने और चाँदी के सीमा निर्धारण में जो दीनार और दिरहम की संख्या निश्चित है अल्लाह के रसूल ﷺ के समय में उनका मूल्य बराबर था।

शैखुल इस्लाम इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह ने अपनी पुस्तक

में इस समस्या के समाधान के लिए अर्थात् क्या सोने को चाँदी के साथ मिला कर सीमा निर्धारण किया जा सकता है? कुछ विद्वानों का विचार प्रस्तुत किया है। उन में से एक विचार यह है कि सोने को चाँदी के साथ मिला सकते हैं क्योंकि चाँदी मूल है और सोना उसका अनुगामी।

उपरोक्त तर्कों के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि नकदी या व्यापारिक वस्तुओं की जकात निकालते समय चाँदी की सीमा को आदर्श मानना चाहिए और अपनी पूँजी की गणना कर के उस के मूल्य का आंकलन करना चाहिए, यदि उसका मूल्य चाँदी की जकात सीमा में आ जाता है तब उस पर जकात अनिवार्य है। यहाँ भी जकात प्रतिबद्धता वही होगी जो चाँदी के लिए वर्णित है, अर्थात् एक वर्ष पूर्ण होने पर कुल पूँजी का ढाई प्रतिशत जकात देय (वाजिब) होगा। ध्यान रहे, व्यापार में अपने निजी धन पर ही जकात देय है। आज कल व्यापार उधार लेन-देन पर भी चलता है, ऐसी दशा में दूसरे की पूँजी भी, अपन पूँजी के साथ सम्मिलित होती है, जकात की गणना करते समय उसे पृथक रखना होगा।

मिसाल के तौर पर आप ने कुछ रूपये से व्यापार आरम्भ किया उस से कुछ मिला खरीदा और साथ ही

साथ कुछ उधार माल भी ले आये, पुनः कुछ माल ग्राहक को बेच दिया ग्राहक से आप को आंशिक भुगतान मिला उस से आप ने माल खरीदा और बेच दिया । इसी प्रकार क्रय-विक्रय चलता रहा । एक वर्ष पूर्ण होने पर जब जकात निकालने का समय आया तो समस्या उत्पन्न हुई कि कितना जकात देय है?

इस के समाधान के लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना आवश्यक है । उदाहरण :

१. आप के पास कुछ संग्रह (स्टाक) है Rs. 30,000/-
जिसका मूल्य :
२. कुछ माल नष्ट हो गया है, विक्रय की आशा नहीं है : Rs. 10,000/-
३. कुछ माल छतिग्रस्त हो गया (घटे मूल्य में बिकेगा) Rs. 4000/-
४. ग्राहक को माल बेचा है (भुगतान नहीं मिला है) Rs. 1,70,000/-
५. कुछ ग्राहक धोखा देना चाहते हैं (भुगतान डूबने की आशा है) Rs. 10,000/-
६. अन्य से उधार माल लिया है (भुगतान देना है) Rs. 1,000,000/-
७. अपने पास नकद है । Rs. 2000/-
८. कुछ बैंक बैलेंस है । Rs. 10,000/-

९. कुछ भुगतान बैंक चेक के रूप में है Rs. 25,000/-
(पेमेन्ट डेट अभी दूर है)
१०. कुछ धनराशि उधार दी गई है। Rs. 5000/-
११. कुछ अन्य की पूंजी भी अपनी पूंजी के साथ सम्मिलित है। Rs. 40,000/-
१२. अपनी पूंजी अन्य के व्यापार में सम्मिलित है। Rs. 30,000/-

उपरोक्त संपूर्ण तथ्यों को दो भागों में बाँटा जायेगा, एक भाग लेना अर्थात् वह जो हमारा है या हमें मिलना है, दूसरा भाग देना अर्थात् वह जो दूसरे का है या हमें चुकाना है। दोनों के अन्तर अर्थात् बचत पर जकात का निर्धारण होगा।

पुनः उपरोक्त विवरण सीरियल नम्बर के अनुसार लिख रहा हूँ जिस से कि समझने में आसानी हो :

लेना :

- | | |
|---|----------------|
| १. कुल स्टॉक (शुद्ध व अशुद्ध मिलाकर) | Rs. 30,000/= |
| ४. ग्राहक से भुगतान प्राप्त होना है | Rs. 1,70,000/= |
| ७. नकद विद्यमान (मौजूद) | Rs. 2000/= |
| ८. बैंक बैलेस | Rs. 10,000/= |
| ९. चेक द्वारा प्राप्त राशि जिसकी भुगतान | Rs. 25,000/= |

तारीख भविष्य में है (Post dated cheque)

१०. उधार दी गई धनराशि	Rs. 5000/=
१२. वह धनराशि जो अन्यत्र लगी है	Rs. 30,000/=
योग :	Rs. 272000/=

देना :

२. रद्दी स्टॉक जो विक्रय योग्य नहीं है	Rs. 10,000/=
३. खराब माल में घाटा, जो चार हजार का माल एक हजार में बिकेगा, इसलिए 3000 का घाटा होगा।	Rs. 3000/=
५. ग्राहक के यहाँ फंस गई धनराशि	Rs. 10,000/=
६. दूसरों को भुगतान करना है	Rs. 1,00,000/=
११. दूसरे का धन जो अपने व्यवसाय में लगा है।	Rs. 40,000/=

योग : Rs. 163,000/=

लेना और देना का अन्तर Rs. 2,72,000/= - Rs. 1,63,000/=
Rs. 1,09,000/=

जिस पर 2.5% (ढाई फीसद) =Rs. 2725/= जकात देय होगा।

नोट: जो धनराशि ग्राहक के यहाँ फंस गई थी और दो तीन वर्ष के बाद प्राप्त हो तो सम्बन्धित वर्ष की जकात

निकालते समय इस धनराशि को भी अपने मूलधन में सम्मिलित करके उसी वर्ष की जकात देंगे। दरमियान के वर्ष (वक़फ़ के साल) की जकात देय नहीं है। क्योंकि वह राशि हमारे अधिकार में न थी।

संयुक्त व्यवसाय में जकात :

एक प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि यदि कुछ लोग एक साथ मिल कर व्यापार कर रहे हों तो वह जकात किस प्रकार भुगतान करें? इस समस्या के समाधान के लिए हमें उस निर्देश पत्र का अध्ययन करना चाहिए जिसे हजरत अबू बक्र رضي الله عنه ने अपने (जकात एवं अन्य दान एकत्र करने वाले) कार्यकर्ताओं को नबी ﷺ के आदेशानुसार लिखा था :

«لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع»

किसी दो (पृथक-पृथक व्यक्ति) को एक साथ जकात के लिए नहीं सम्मिलित किया जायेगा और यदि सम्मिलित व्यापार हो तो जकात की गणना पृथक-पृथक नहीं की जायेगी।

यह भी लिखा था कि :

«وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية»

यदि दो व्यक्ति साझीदार हों तो जकात की राशि हिस्सानुसार आपस में चुका लें। (बुखारी)

कृषि उपज पर जकात सीमा :

इसकी सीमा पाँच वसक है तथा फसल प्राप्ति पर ही अनिवार्य है। अर्थात् यदि कृषि उपज पाँच वसक या उससे अधिक है तब उस में जकात निकालना आवश्यक है, तथा एक बात यह भी है कि फसल प्राप्त होते ही जकात निकालना आवश्यक है। इस में जकात का अनुपात निम्नवत है :

- १- दस प्रतिशत या दसवाँ भाग (जिसको अरबी भाषा में उश्र कहते हैं) उस फसल में जो आकाशीय जल वृष्टि द्वारा सिंचित हो।
- २- पाँच प्रतिशत या बीसवाँ भाग (जिसको अरबी भाषा में निस्फ उश्र कहते हैं) उस फसल में जो मनुष्य के अपने परिश्रम द्वारा सिंचित हो।

वसक एक पैमाना है, एक वसक साठ साअ के बराबर होता है। अतः एक वसक = ३०० साअ

साअ की विस्तृत विवेचना आगे 'सदक्रये फितर' में की जायेगी । सामान्यतः एक साअ बराबर ढाई किलोग्राम बताया जाता है । इस गणनानुसार पाँच वसक = ३०० साअ = ७५० किलोग्राम होता है ।

कृषि उपज में जिन वस्तुओं पर जकात वाजिब है:

कृषि उपज में वह सब अनाज सम्मिलित हैं जिनका संग्रह किया जा सकता है । अल्लाह के नबी ﷺ के समय में "الحنطة، والشعير، والتمر" अर्थात् गेहूँ, जौ, खजूर और किसमिश में जकात ली जाती थी । इन के अतिरिक्त "خضراوات" हरी सब्जियों में जकात नहीं ली जाती थी ।

इस समस्या में धार्मिक विद्वान एक मत नहीं हैं कि किन वस्तुओं में जकात देय है और किन में नहीं । जो लोग कुछ विशेष वस्तुओं ही में जकात देय के पक्षधर हैं उनका तर्क वह हदीसों हैं जिन में उन विशेष वस्तुओं का विवरण है तथा वह वस्तुयें जो हदीस में स्पष्ट वर्णित नहीं हैं उन में जकात देय के सहमत नहीं हैं । बहुमत «خضراوات» हरी सब्जियों में जकात का पक्षधर नहीं है । परन्तु वह वस्तुयें जिन में स्थायित्व है और जिनका संग्रह हो सकता है अर्थात् प्राकृतिक रूप से जिसे कुछ लम्बे समय तक

सुरक्षित रखा जा सके। (आधुनिक वैज्ञानिक ढंग आशय नहीं) तब हदीस की व्यापकता यह तर्क प्रस्तुत करती है कि उन पर जकात होना चाहिए।

अल्लाह के नबी ﷺ द्वारा जकात के सम्बन्ध में जो वर्णन पूर्व पृष्ठों पर उल्लिखित हैं उन से यही ज्ञात होता है कि उन से मुराद सामान्य वस्तु है न कि वस्तु विशेष। आप ﷺ ने बताया कि «ليس فيما دون خمس أوسق صدقة» अथवा «فيما سقت السماء العشر» अर्थात् पाँच वसक से कम उपज में जकात नहीं है या जो आकाशीय वृष्टि से सिंचित हो उस में दसवाँ भाग जकात है। उस आदेश में सभी कृषि उपज सम्मिलित हैं। कुछ उपज ऐसी भी हैं जिसका छिलका उतार कर उपभोग करते हैं, जैसे धान इस में जकात की गणना, धान साफ करने के उपरान्त चावल में की जायेगी। हाँ यदि कोई किसान फसल प्राप्त होते ही जकात देना चाहे और जकात एकत्रक स्वीकार कर ले तो कोई आपत्ति नहीं।

चरने वाले पालतू पशुओं पर जकात सीमा :

चरने वाले पशुओं के लिए अलग-अलग जकात सीमा है। परन्तु वर्ष पूर्ण होने की शर्त सब के लिए समान है। विवरण निम्नवत है :

ऊंट :

ऊंट के लिए जकात सीमा पांच ऊंट है, पांच ऊंट से कम पर जकात नहीं है ।

(अ) पांच से नौ ऊंट तक एक बकरी ।

(ब) दस ऊंट से चौदह ऊंट तक दो बकरी ।

(स) पन्द्रह ऊंट से उन्नीस ऊंट तीन बकरी ।

(द) बीस ऊंट से चौबीस ऊंट चार बकरी ।

पच्चीस से पैतीस ऊंट - ऊंट का एक वर्षीय एक मादा बच्चा जिसको अरबी में बिनते मखाज (بنت مخاض) कहते हैं ।

अथवा द्विवर्षीय एक नर बच्चा जिसको अरबी में (ابن) (ابن) इब्न लबून कहते हैं ।

छत्तीस से पैतालीस ऊंट : (بنت لبون) दो वर्षीय मादा एक बच्चा ।

छियालीस से साठ ऊंट : (حقه) त्रीयवर्षीय एक ऊंट जिसको अरबी भाषा में (हिक्का) कहते हैं ।

इक्सठ से पचहत्तर ऊँट : (جذعه) चार वर्षीय एक ऊँट

छिहत्तर से नब्बे ऊँट : (دوبنت لبون) द्विवर्षीय दो मादा बच्चा ऊँट

इककानवे से एक सौ बीस ऊँट : (دو حقه) त्रियवर्षीय दो ऊँट ।

१२० से अधिक ऊँट होने पर प्रत्येक चालीस पर ऊँट का एक द्विवर्षीय मादा बच्चा (بنت لبون) तथा प्रत्येक ५० ऊँट पर एक (حقه) देना होगा ।

यदि जकात सीमा में आने पर जकात में देने के लिए आपेक्षित पशु सुलभ न हो तो निम्नलिखित प्रकार से जकात का भुगतान होगा ।

अगर पशुधन स्वामी पर (جذعه) चार वर्षीय ऊँट जकात देय हुआ और उस के पास त्रियवर्षीय ऊँट (حقه) है तो वह (حقه) ले लिया जायेगा तथा उस के अतिरिक्त दो बकरियाँ भी ली जायेंगी अथवा बीस दिरहम अथवा (उसका मूल्य)

अर्थात् यदि जकात में देय आपेक्षित पशु नहीं है अपितु उस से कम मूल्य का पशु विद्यमान है तो मूल्य के द्वारा उस की पूर्ति की जायेगी ।

इसी प्रकार यदि आपेक्षित पशु नहीं है परन्तु उस से अधिक मूल्यवान पशु विद्यमान है तो जकात एकत्रक वह अतिरिक्त मूल्य, स्वामी को वापस करेगा ।

अपेक्षित पशु और विद्यमान पशु के अन्तर का समाधान (नबी ﷺ द्वारा निर्धारित) मूल्य द्वारा (आदान-प्रदान) किया जायेगा ।

यदि स्वामी के पास मात्र चार ऊँट है तो उस पर जकात देय नहीं है । यदि स्वामी स्वेच्छा से दे रहा है तो स्वीकार किया जायेगा ।

गाय :

तीस अथवा उस से अधिक गाय होने पर जकात अनिवार्य होगा । इस से कम पर जकात देय नहीं है । विवरण निम्नवत है :

३०-३९ गायों पर एक वर्षीय एक भेंड़ देना होगा (नर या मादा की कोई शर्त नहीं) जिस को अरबी में तबी अथवा तबी: (تبيع یا تبیعة) कहते हैं ।

४०-५९ गायों पर एक द्विवर्षीय भेड़ देना होगा। जिसको अरबी भाषा में मुसिन्ना (مسنة) कहते हैं।

६०-६९ गायों पर दो वर्षीय दो मादा बच्चा।

७०-७९ गायों पर एक मुसिन्ना और एक तबी:।

८०-८९ गायों पर दो मुसिन्ना।

९०-९९ गायों पर तीन तबी:।

१००-१०९ गायों पर एक मुसिन्ना और दो तबी:।

११०-११९ गायों पर दो मुसिन्ना और एक तबी:।

१२० गायों पर तीन मुसिन्ना या चार तबी:

१२० गायों से अधिक होने पर प्रति तीस गाय पर एक तबी: तथा प्रति चालीस गाय पर एक मुसिन्ना देय होगा।

भेड़ बकरियाँ :

बकरियों के लिए जकात की सीमा चालीस बकरी हैं। इस से कम पर जकात अनिवार्य नहीं है। विवरण निम्नवत है :

४०-१२० बकरियों पर एक बकरी है।

१२१-२०० बकरियों पर दो बकरी है।

२०१-३०० बकरियों पर तीन बकरी है ।

इसी प्रकार प्रत्येक सौ (१००) बकरियों पर एक बकरी जकात देय है ।

और यदि चालीस बकरी से कम हो तो उस पर जकात देय नहीं होगा परन्तु यदि धन स्वामी खुशी से देना चाहे तो स्वीकार किया जायेगा ।

सदक़ये फ़ित्र या जकातये फ़ित्र

यह विशेष दान है जो रमज़ान महीने के रोज़ा ख़त्म होने पर ईदुल फ़ित्र की नमाज़ से पहले दिया जाता है। सदक़ये फ़ित्र हिज़रत (नबी ﷺ के मक्का से मदीना जाने) के दूसरे वर्ष अनिवार्य हुआ जिस वर्ष से रमज़ान मास का रोज़ा अनिवार्य हुआ है, इसका उद्देश्य यह है कि रोज़ादार को इस के द्वारा, रोज़ा सम्बन्धी भूल-चूक से शुद्धि प्राप्त हो और यह कि निर्धन एवं असहायों को भी ईद की खुशी प्राप्त हो। यदि इसका उचित इस्तेमाल हो तो ईदुल फ़ित्र के दिन भीख माँगने वाले भी संतुष्ट हो कर ईद की खुशी मना सकते हैं।

सदक़ये फ़ित्र के लिए धन की सीमा नहीं :

इस विशेष दान तथा जकात में मूल अन्तर यह है कि यह सर्व साधारण अफ़राद पर लागू होता है जब कि जकात, निश्चित धन सीमा पर लागू होता है। इसीलिए सदक़ये फ़ित्र के लिए धन की सीमा निर्धारित नहीं है।

बुखारी एवं मुस्लिम में हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर द्वारा वर्णन है कि :

«أن رسول الله ﷺ فرض زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين»

रसूलुल्लाह ﷺ ने रमजान का सदकये फित्र एक साअ खजूर या एक साअ जौ प्रत्येक मुसलमान के लिए अनिवार्य किया है। चाहे वह स्वाधीन (आजाद) या पराधीन (गुलाम) स्त्री हो या पुरूष, (इस में छोटे बड़े, बच्चे बूढ़े सब सम्मिलित हैं जैसा कि अन्य हदीसों से सिद्ध होता है। अतः परिवार के संपूर्ण सदस्यों जहाँ तक कि छोटे बच्चों एवं आश्रितों सब की ओर से एक साअ प्रति सदस्य सदकये फित्र निकालना चाहिए)

हजरत अबू सईद खुदरी رضي الله عنه द्वारा वर्णित है कि :

«كنا نخرج زكاة الفطر صاعاً من طعام أو صاعاً من شعير أو صاعاً من تمر أو صاعاً من أقط أو صاعاً من زبيب»

हम सदकये फित्र एक साअ अनाज या एक साअ खजूर या एक साअ किशमिश या एक साअ पनीर

निकाला करते थे (बुखारी व मुस्लिम)

हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास رضي الله عنه की हदीस में इसकी रहस्यता (हिक्मत) का बयान है। उनका कथन है कि :

«فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر طهارة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين»

रसूलुल्लाह ﷺ ने सदकये फित्र को अनिवार्य किया है कि यह विशेष दान, रोजादार के लिए तत्सम्बन्धी भूल-चूक से शुद्धि तथा मिस्कीनों (लाचारों) के लिए खाद्यान्न है। (अबू दाऊद)

उपरोक्त सभी खाद्यान्नों में से नबी ﷺ के समय में एक साअ प्रति व्यक्ति की ओर से (एक विशेष दान) निकाला जाता था। हजरत मुआविया رضي الله عنه ने अपने शासनकाल में गेहूँ, आधा साअ सदकये फित्र निश्चित किया था जैसा कि 'बुखारी' में हजरत अबू सईद खुदरी رضي الله عنه द्वारा वर्णन है, जिनका प्रबन्धकाल (४१-६० हि०) है। क्योंकि गेहूँ, खजूर की अपेक्षा मँहगा था, परन्तु विचार कीजिए नबी ﷺ के समय में, कई खाद्यान्नों को सदकये फित्र में दिया जाता था जिन के मूल्य समान नहीं होते थे परन्तु परिमाण निर्धारण में सबको समान रखा गया था, अर्थात्

सब के लिए एक साअ निश्चित था। अतः खाद्यान्नों के सस्ता या महंगा होने का कोई प्रभाव नहीं है। हमें नबी ﷺ के व्यवहार को आदर्श मानते हुए एक साअ सदकये फित्र देना चाहिए।

सदकये फित्र मुद्रा के रूप में :

क्या इस विशेष दान का मूल्य निकाल कर मुद्रा के रूप में दान किया जा सकता है? तीन महान धर्म विद्वान इस उचित नहीं मानते। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतु० से सदकये फित्र में दिरहम (तत्कालीन सिक्का) देने के सम्बन्ध में पूछा गया, आप ने उत्तर दिया कि यह हमारे आदर्श (नबी ﷺ के ढंग) के विपरीत है तथा यह सम्भव है कि इस से सदका का उद्देश्य पूर्ण न हो। उन से कहा गया कि कुछ लोगों का कथन है कि हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतु० मूल्य स्वीकार करते थे। इमाम अहमद रहिमहु० ने उत्तर दिया कि लोग रसूलुल्लाह ﷺ के कथन को उपेक्षित करते हैं और कहते हैं कि अमुक व्यक्ति का यह कथन है जब कि इब्ने उमर की हदीस है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने अमुक-अमुक वस्तुयें (खाद्यान्न) सदकये फित्र के लिए निश्चित किया है। और अल्लाह का आदेश है कि अल्लाह की आज्ञा का पालन करो तथा रसूल ﷺ की आज्ञा का पालन करो।

हाँ आपात स्थिति में उसका विकल्प (मुद्रा रूप में) दिया जा सकता है ।

सदकये फ़ित्र देने का समय :

यह सदका ईदगाह जाने से पहले चुका देना चाहिए ।
अब्दुल्लाह बिन उमर رضي الله عنه द्वारा वर्णन है :

«إن رسول الله ﷺ أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل
خروج الناس إلى الصلاة»

अल्लाह के रसूल ﷺ ने आदेश दिया है कि जकातये
फ़ित्र ईद की नमाज़ के लिए जाने से पूर्व ही दे
दिया जाये । (बुखारी और मुस्लिम)

और हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास رضي الله عنه के वर्णन में
यह शब्द है कि :

«فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها
بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات»

जो व्यक्ति ईद की नमाज़ से पहले इस विशेष दान को
चुका दे तो उसको इसका उद्देश्य प्राप्त होगा वह स्वीकृत
है तथा जो व्यक्ति नमाज़ के बाद भुगतान करेगा उसे

उस विशेष दान का उद्देश्य नहीं बल्कि सामान्य दान का फल प्राप्त होगा।

सदक्रये फित्र की मात्रा एक साअ (खाद्यान्न) है :

साअ : अनाज नापने का एक पैमाना होता था जो प्राचीन काल में प्रचलित था। हजरत यूसुफ عليه السلام की घटना में भी इसका वर्णन है। मदीना में जो साअ प्रचलित था रसूलुल्लाह ﷺ ने उसी को प्रमाणिक माना है। एक साअ बराबर चार मुद होता था। इस बात पर सभी विद्वान एक मत हैं। परन्तु एक मुद का पैमाना क्या था, इस में मतभेद है। अतः इसका कुछ विस्तार से वर्णन किया जाता है जिस से कि तथ्य स्पष्ट हो जाये।

अहनाफ़ (एक विशेष मतानुयायी मुसलमान) एक मुद को दो रतल के बराबर मानते हैं। इस प्रकार उन के मतानुसार एक साअ आठ रतल के बराबर होता है। इमाम मालिक, इमाम शाफ़ई और इमाम अहमद बिन हम्बल के अनुयायी एक मुद बराबर १.१/३ रतल अर्थात् एक मुद= एक रतल और एक तिहाई रतल को मानते थे। और उन के अनुसार एक साअ पाँच रतल और एक तिहाई रतल बगदादी का माना गया है।

रतल एक यंत्र का नाम है जिसका शाब्दिक अर्थ 'हाथ से

उठा कर भार मालूम करना' है। यह रोम की सभ्यता का अविष्कार है। उसकी एक विशेष पद्धति है, पूर्व इस्लाम इसका उपयोग तरल पदार्थों को नापने के लिए किया जाता था तथा भार ज्ञात करने में भी इस्तेमाल था। इस्लामी शासन में भिन्न-भिन्न प्रकार के रतल प्रयुक्त होते थे, इस्लामी फिक्रह की पुस्तकों में इसका वर्णन मिलता है, जैसा कि रतल बगदादी, रतल दमिश्की, रतल मिस्री, रतल हलबी इत्यादि। परन्तु धार्मिक कार्यों में रतल बगदादी का महत्व था। यह बारह के अंक से विभाजित होता था, अर्थात् १२ ओकिया = एक रतल।

रतल के भार के सम्बन्ध में भी विद्वानों में मतभेद है। ग्राम में जो रतल का भार निश्चित किया गया है वह लगभग ४०८ ग्राम है। क्योंकि ओकिया (धारिता मापने वाला) का भार लगभग ३४ ग्राम होता है।

अनुमानतः मध्यम श्रेणी की हथेली से (दोनों हाथ मिला कर) भर कर उठाया जाये तो एक रतल के बराबर होगा। इस प्रकार लगभग साढ़े पाँच (५.५) हथेली का एक साअ होगा।

एक रतल बगदादी का भार = ४०८ ग्राम माना गया है।

अतः तीन महान विद्वानों के मतानुसार एक साअ का भार

५.५ x ४०८ ग्राम = २१७६ ग्राम, यही सर्वमान्य पैमाना है।

इस्लामी नीतिशास्त्र (फिक्रह) की कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों में एक प्रसिद्ध कथा का वर्णन मिलता है कि अब्बासी खलीफा हारून रशीद (१७०-१९३ हि०) और इमाम अबू हनीफा रहमु० के शिष्य (शार्गिद) इमाम यूसुफ रहम० साथ-साथ 'हज्ज यात्रा' पर गये थे। जब मदीना पहुँचे तो इमाम मालिक रहम० से भी मुलाकात हुई। उस अवसर पर इमाम यूसुफ ने इमाम मालिक रहमहोमु० से साअ के सम्बन्ध में विचार-विमर्श किया। इमाम मालिक रह० ने कहा कि एक साअ बराबर पाँच रतल और एक तिहाई रतल (५.१/३ रतल) का होता है। इमाम यूसुफ ने, इस तथ्य को नकार दिया, क्योंकि उन कई गुरु इमाम अबू हनीफा एक साअ बराबर आठ रतल का मानते थे। जब इस समस्या पर तर्क वितर्क आरम्भ हुआ तो इमाम मालिक रहमु० ने कहा कि इसका निर्णय कल होगा। जब दूसरा दिन आया तो लगभग पचास विद्वान जो मुहाजिर और अन्सार की संतान थे अपने साथ अपना-अपना साअ छिपा कर लाये, प्रत्येक व्यक्ति ने यही कहा कि यह साअ मुझे विरासत में मिला है और लोग नबी ﷺ के समय में इसी से नाप कर सदकये फित्र दिया करते थे।

इमाम यूसुफ ने उन सबको नाप डाला सब के सब लगभग (५.१/३) रतल के बराबर थे। इमाम यूसुफ रह० कहते हैं कि इस से मुझे एक ठोस दलील प्राप्त हुई और मैंने अपने गुरु इमाम अबू हनीफ़ा के कथन (क़ौल) में संशोधन (इस्लाह) कर लिया।

अतः इमाम यूसुफ रहमहु० ने अपना दृष्टिकोण बदल दिया तथा मदीना वालों से सहमत हो गये।

साअ के सम्बन्ध में यह अवश्य जान लेना चाहिए कि यह तोलने का नहीं अपितु नापने का पैमान है। चूँकि विभिन्न खाद्यान्नों की नाप और तोल का अनुपात समान नहीं हो सकता, इसलिए आजकल उस के भार को २.५ किलोग्राम प्रमाण (मेयार) माना गया है। उसी को व्यवहार में लाना चाहिए।

यह जकात एवं सदका का संक्षिप्त वर्णन है जिसे इस छोटी सी पुस्तक में एकत्र करने का प्रयास किया गया है, इस तथ्य को दृष्टिगत रखा गया है कि शुद्ध एवं यथार्थ वर्णन प्रस्तुत हो। यह कदापि सम्भव नहीं कि त्रुटियाँ न हों। यदि किसी सज्जन को कोई तथ्य संशोधन योग्य प्रतीत हो तो अवश्य अवगत करायें। किसी भी प्रकार का परामर्श, सादर एवं साभार स्वीकार किया जायेगा।

मेरी प्रार्थना है कि अल्लाह मेरे इस कार्य को स्वीकार कर ले और इसे मुसलमानों के लिए कल्याणकारी बनाये ।

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على
خير خلقه محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم.

अब्दुल्लाह सऊद

प्रथम रमजान सन् १४२० हि०



مطبعة النرجس التجارية

NARJIS PRINTING PRESS

تلفون : ٢٣١٦٦٥٤ / ٢٣١٦٦٥٣

فاكس : ٢٣١٦٨٦٦ الرياض

الزكاة

في ضوء الكتاب والسنة

تأليف
عبدالله سعود بن عبد الوحيد

ترجمة
أحمد حسين

هندي

ردمك ٩٩٦٠-٨٧١-١٩-٣

الكتاب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بسطاطنة
الرياض - صندوق البريد ١٩٠١٠ - هاتف ٤٤٤٤٤٤٤٤ - الفاكس ٤٤٤٤٤٤٤٤